SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K.Gunta. J.M.F.C., Gohad, DIST-, Bhind (M.P)

IN THE COURT OF A.K.Gupta, J.M.F.C., Gohad, DIST Bhind (M.P)
TOO 1/17 See See Tickl
Case No. 339//7 Complaint or report madeon Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant.
11 - Facoused
Name , parentage, caste and address of accused
12116 के अपने प्राप्त । परिष्ण अपने प्राप्त ।
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
The offence, complainant of, and & cos, so
आपने दिनांक 13/11 को समय लगभग 13-20 बजे, थाना अर्भिक अंतर्गत स्थान अर्क अर्म्भण जिल्ला पर सट्टा पर्चियों पर अंक, संख्या,
पर सट्टा पर्चियों पर अंक, संख्या,
The state of the s
सकेत,चिन्ह या चित्रों के प्रदेशन से रूपय पर पा पाप पाप कार्य के तहत दण्डनीय अपराध है अपराध कारित किया जो सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध है
<u>ो</u>
अार इस न्यायालय के तजान न जाता है। वया आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो
A.R.Gupta
Judicial magistrate first class, Gohad Dist.Bhind (M.P)
The plea of the accused and his examination (if any)
The piea of the accused
अपराध स्वीकार है। A.स. Groß स्वि
Judicial magistrate fusiclass, Gonad Dist. Bhind (MA)
7-11 P. Gonad Dist. Bright Many

The offence proved. If any and in case under clasue(d) lasuse(f) clause(g) of sub-section 260 the value of the property in respect to which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 5/2/) को घोषित)

आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धुत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी / गण..... अर्गिय हुए दुर्ग के दूरि

को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 कि) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय एठने तक की अवधि की सजा एवं अर्थदण्ड ्रिएट रूपये (प्रत्येक, अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिकम की दशा में अभियुक्त/गण को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि पाठी अपील अवधि पश्चात राजसात् की जाये तथा जप्तसुदां मूल्यहीन सम्पत्ति है कि कि कि को नष्ट क व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के संबंध में अपील की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायाल के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial magistrate fits Leclarin